



भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड
केंद्रीकृत रोजगार सूचना
सीईएन संख्या 04/2024



भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 04/2024
पारामेडिकल की विभिन्न कोटियों की भर्ती

| | |
|--|--------------------------|
| आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि | 17.08.2024 |
| शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 16.09.2024 |
| संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं' फॉर्म और 'चुने गए आरआरबी' में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकता है) | 17.09.2024 से 26.09.2024 |

नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन दिनांक 16.09.2024 को 23:59 बजे तक केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।

| क्रम सं. | पद का नाम | 7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल | प्रारंभिक वेतन (₹) | चिकित्सा मानक | 01.01.2025 को आयु | कुल रिक्तियां (सभी आरआरबी) |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | डायटीशियन (लेवल 7) | 7 | 44900 | C2 | 18-36 | 05 |
| 2 | नर्सिंग अधीक्षक | 7 | 44900 | C1 | 20-43 | 713 |
| 3 | ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट | 6 | 35400 | B1 | 21-33 | 04 |
| 4 | क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट | 6 | 35400 | B1 | 18-36 | 07 |
| 5 | डेंटल हाईजिनिस्ट | 6 | 35400 | C2 | 18-36 | 03 |
| 6 | डाईलायसिस तकनीशियन | 6 | 35400 | B1 | 20-36 | 20 |
| 7 | स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड III | 6 | 35400 | C1 | 18-36 | 126 |
| 8 | लेबोरेटरी अधीक्षक | 6 | 35400 | B1 | 18-36 | 27 |
| 9 | परफ्यूसिनिस्ट | 6 | 35400 | B1 | 21-43 | 02 |
| 10 | फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड II | 6 | 35400 | C1 | 18-36 | 20 |
| 11 | ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट | 6 | 35400 | C1 | 18-36 | 02 |
| 12 | कैथ लेबोरेटरी तकनीशियन | 6 | 35400 | B1 | 18-36 | 02 |
| 13 | फार्मासिस्ट (एंटी ग्रेड) | 5 | 29200 | C2 | 20-38 | 246 |
| 14 | रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन | 5 | 29200 | B1 | 19-36 | 64 |
| 15 | स्पीच थेरेपिस्ट | 5 | 29200 | B1 | 18-36 | 01 |
| 16 | कार्डियक तकनीशियन | 4 | 25500 | B1 | 18-36 | 04 |
| 17 | ऑप्टोमेट्रिस्ट | 4 | 25500 | B1 | 18-36 | 04 |
| 18 | ईसीजी तकनीशियन | 4 | 25500 | C1 | 18-36 | 13 |
| 19 | लेबोरेटरी सहायक ग्रेड II | 3 | 21700 | B1 | 18-36 | 94 |
| 20 | फिल्ड वर्कर | 2 | 19900 | C2 | 18-33 | 19 |
| कुल योग | | | | | | 1376 |

आरआरबी-वार और रेलवे जोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक-B में दिया गया है।

*इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के रूप में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है।

महत्वपूर्ण निर्देश:

- कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सीईएन में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें।
- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस सीईएन के खिलाफ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं रखते/पूरा करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सीईएन संख्या 04/2024 की पोस्ट पैरामीटर तालिका और रिक्ति तालिका से गुजरना आवश्यक है। प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है और किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए एक उम्मीदवार द्वारा केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उन पदों में वरीयता के क्रम में, जिसके

लिए उम्मीदवार पात्र है और आवेदन करने में रुचि रखता है। आवेदन केवल नीचे पैरा 14(एफ) में सूचीबद्ध किसी भी आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, उस पद के लिए चयनित आरआरबी अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा पदों के लिए एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर उन पदों के लिए सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे और डिबारमेंट कर दिया जाएगा।

- (iii) उम्मीदवारों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अंतिम होगी। आरआरबी पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा; इसलिए, आवश्यकतानुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर उम्मीदवारी केवल अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं से गुजरना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं। आरआरबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता और आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। ईक्यू/आयु/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी झूठी/गलत है या यदि उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी/उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।
- (iv) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु में छूट आदि का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि अन्यथा जहां निर्दिष्ट नहीं है, इस सीईएन के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
- (v) मेडिकल फिटनेस: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस पद के लिए चयन कर रहे हैं, उसके लिए वे निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो अभ्यर्थी चयनित पद(पदों) के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
- (vi) आयु सीमा 01.01.2025 तक।
प्रत्येक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा प्रासंगिक अधिकतम आयु छूट के साथ पैरा 5.1 में दर्शाई गई है।
- (vii) आरआरबी का चयन और पदों के लिए प्राथमिकताएं: इस सीईएन में दर्शाई गई आरआरबी-वार और रेलवे-वार रिक्तियां अंतिम हैं और ये संबंधित रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। उम्मीदवार केवल एक आरआरबी चुन सकते हैं और रेलवे जोन और अधिसूचित पदों/श्रेणियों के लिए अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के इच्छुक हैं और पात्र हैं, केवल उसी चुने हुए आरआरबी में। आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों पर केवल विशिष्ट रेलवे जोन और उनके द्वारा चुने गए पदों/श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा, जो आवंटन के समय रिक्ति की स्थिति के अधीन होगा। यदि कुछ पदों/श्रेणियों के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है, तो इसे इसके लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार दिए गए विकल्प अंतिम होंगे और किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (viii) भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे।
- (ix) ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले से ही एक खाता बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए भी लॉग इन करने और आवेदन करने के लिए उसी खाते के क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले कोई खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले पहले 'खाता बनाना' होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। खाता बनाने के बाद 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- (x) ऑनलाइन आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएं' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) में भरे गए विवरण और चुने गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को और संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है। वह प्रत्येक अवसर के लिए 250/- (गैर-वापसी योग्य) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके 17.09.2024 से 26.09.2024 तक ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए आरआरबी को नहीं बदला जा सकता है।
- (xi) 26.09.2024 के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

- (xii) डीवी और मेडिकल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उस आरआरबी के लिए रिक्तियों की 1:1 की दर से आरआरबी-वार की जाएगी। यह सीबीटी में उनकी योग्यता पर आधारित होगा। कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी में उपस्थित होने के लिए उनके ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों के साथ-साथ एसएमएस और ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर) के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- (xiii) नकारात्मक अंकन: सीबीटी में नकारात्मक अंकन (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक) होगा।
- (xiv) प्रतिबंधित वस्तुएँ: अभ्यर्थी संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ियाँ), चूड़ियाँ, चेन, कंगन, श्रवण यंत्र, वॉलेट / पर्स, बेल्ट, जूते जैसी प्रतिबंधित वस्तुएँ ले जा रहे हैं। धातु के बखर आदि, या पेन/पेंसिल जैसी किसी भी स्टेशनरी वस्तु को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई के अलावा अयोग्यता और भविष्य की भर्ती परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा।
- (xv) सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी मूल्यवान/प्रतिबंधित वस्तु न लाएं।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन हेतु अनुरोध की अनुमति नहीं है।

1.0 सामान्य अनुदेश :

महत्वपूर्ण: प्रामाणिक और समय पर जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों देखें (पैरा 14(एफ) में सूचीबद्ध) नकली वेबसाइटों से सावधान रहें-वे भ्रामक और गलत जानकारी दे सकते हैं।

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, वशर्ते उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- 1.2 उम्मीदवारों को केवल ई-कॉल लेटर जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आरआरबी द्वारा अंततः स्वीकार कर ली गई है।
- 1.3 उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के सभी चरणों में अर्हता प्राप्त करने और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद ही आरआरबी पात्रता शर्तों (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) का सत्यापन करते हैं। यदि उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो आरआरबी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर सकता है और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से हटा दिया जाएगा।
- 1.4 इस अधिसूचना के तहत पद(पदों) के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता और चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित शैक्षणिक /तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं हैं। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोग पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.5 जो उम्मीदवार इस सीईएन के विरुद्ध पदों के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और आरआरबी और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) की सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, एक से अधिक आरआरबी और/या एक से अधिक आरआरसी के लिए जानकारी और/या तथ्यों में मामूली बदलाव के साथ कई आवेदन जमा करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी आरआरबी और आरआरसी की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।
- 1.6 जो उम्मीदवार वर्तमान में किसी भी आरआरबी/आरआरसी द्वारा वंचित हैं, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- 1.7 उम्मीदवार जिन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है कोई अन्य सरकारी संगठन पात्र नहीं है और उसे आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.8 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि केवल मैट्रिक/एसएसएलसी/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज करनी चाहिए।
- (अ) नाम में किसी भी बदलाव के मामले में, उम्मीदवारों को अपना बदला हुआ नाम बताना चाहिए। हालाँकि, अन्य सभी विवरण मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र से मेल खाने चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि या ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।
- (ब) राजपत्र अधिसूचना या ऐसे मामलों के लिए लागू कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 1.9 सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर एक समान और समान होने चाहिए। हस्ताक्षर चालू हस्तलिखित में होना चाहिए न कि बड़े/बड़े अक्षरों में या असंबद्ध अक्षरों में। विभिन्न हस्ताक्षरों के उपयोग के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी अयोग्य हो सकती है।

- 1.10 सीबीटी और डीवी की तिथियां भाग लेने वाले आरआरबी की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी जैसा कि पैरा 14(एफ) में दिया गया है। सीबीटी और डीवी के लिए ई-कॉल लेटर (जैसा लागू हो) केवल संबंधित आरआरबी की वेबसाइटों से डाउनलोड किया जाना चाहिए जैसा कि पैरा 14(एफ) में दिया गया है। आपके कॉल लेटर में बताई गई सीबीटी केंद्र, तारीख और शिफ्ट अंतिम होगी, और तारीख/समय/स्थान में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.11 सीईएन में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेलवे प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद के चरण में कुल या विशिष्ट समुदायों/इकाइयों में बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं। यदि रेलवे को आवश्यकता हुई तो बाद के चरण में अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं। आरआरबी बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी, अतिरिक्त डीवी आदि शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 1.12 रेलवे प्रशासन अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसे रद्दीकरण की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, सिवाय उन उम्मीदवारों के जिन्होंने सीबीटी में भाग लिया है। (वापसी की राशि के लिए पैरा 7.0 देखें)
- 1.13 नियुक्ति का अधिकार: आरआरबी द्वारा चयन से उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता है। आरआरबी का कार्य केवल क्षेत्रीय रेलवे के संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है, जो बदले में रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र के पूर्ववृत्त सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करते हैं। श्रेणी/पद/रेलवे का आवंटन योग्यता, पद बरीयता, मेडिकल फिटनेस और पैनल तैयार करने की तिथि पर रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर होगा। आरआरबी द्वारा श्रेणी/पद/रेलवे आवंटित किए जाने के बाद, उम्मीदवार किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देते हैं। यदि प्रशासनिक हित में आवश्यक समझा जाए तो रेलवे भर्ती बोर्ड के पास अभ्यर्थियों द्वारा न चुने गए पद/रेलवे/यूनिट को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है, बशर्ते अभ्यर्थी संबंधित पद की आवश्यकता को पूरा करता हो।
- 1.14 पोस्टिंग: आम तौर पर, एक रेलवे कर्मचारी को उस रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में पूरी सेवा के दौरान नियुक्त किया जाएगा जिसमें वह पहली नियुक्ति पर तैनात है और उसे किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं करना होगा। हालांकि, एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की अनिवार्यताओं में रेलवे कर्मचारी को भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है। नव नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी करने तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आरआरबी का चयन उचित सावधानी और विचार के साथ करें।
- 1.15 चयनित उम्मीदवार, जो अंतिम रूप से नियुक्त होंगे, प्रादेशिक सेना की रेलवे चिकित्सा यूनिट में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 1.16 निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को (अनुरोध पर) निःशुल्क स्लीपर श्रेणी रेलवे पास स्वीकार्य होगा, तथा उन्हें उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार चयन के विभिन्न चरणों जैसे सीबीटी/डीवी/मेडिकल परीक्षा (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा।
ट्रेन आरक्षण और यात्रा करते समय, उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए, संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारियों को मूल एससी और एसटी समुदाय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का कोई भी दुरुपयोग, चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार करने सहित भविष्य की परीक्षाओं के लिए निषेध का कारण बनेगा। निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम बताएं, अन्यथा आरक्षण प्राप्त करते समय उनका यात्रा प्राधिकरण निरस्त हो सकता है।
- 1.17 आरआरबी को किसी भी स्तर पर आवश्यकतानुसार और लागू होने पर सीईएन के तहत भर्ती के किसी भी नियम व शर्त को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित है।
- 1.18 आरआरबी, उम्मीदवारों की सहमति से, इस भर्ती में प्राप्त अंकों को अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ अपनी भर्ती के लिए साझा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/अस्वीकृति दर्शानी चाहिए।
- 1.19 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले ही अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम समय में किसी भी तरह की भीड़ से बचें। अंतिम दिनों में इंटरनेट या वेबसाइट पर बहुत अधिक ट्रैफिक होने की संभावना के कारण यह सावधानी बरती जाती है।
- 1.20 अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
ईमेल : rrb.help@csc.gov.in और नंबर : 9592001188
- यदि अभ्यर्थी किसी भी कारणवश अंतिम तिथि तक अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा।
- 2.0 **रिक्तियाँ:** कृपया ध्यान दें कि ये रिक्तियाँ रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं (संशोधित रिक्ति तालिका तदनुसार प्रकाशित की जाएगी)। इस सीईएन में विभिन्न पदों के मापदंड (अर्थात योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता आदि) अनुलग्नक ए में हैं और आरआरबी-वार रिक्तियाँ अनुलग्नक बी में हैं।

- 3.0 चिकित्सा योग्यता के मानक: डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षण पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने द्वारा चुने गए पद से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेलवे सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा योग्यता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न चिकित्सा मानकों के लिए चिकित्सा आवश्यकताओं को नीचे रेखांकित किया गया है:

| क्र.सं. | मेडिकल स्टैण्डर्ड | जेनेरल फिटनेस | विज़न स्टैण्डर्ड |
|---------|-------------------|--------------------------------|--|
| 1 | B-1 | Physically fit in all respects | Distance Vision: 6/9, 6/12 with or without glasses (power of lenses not to exceed 4D), Near Vision: Sn: 0.6, 0.6 with or without glasses when reading or close work is required and Must pass test for Colour Vision, Binocular Vision, Night Vision and Mesopic vision |
| 2 | C-1 | Physically fit in all respects | Distance Vision: 6/12, 6/18 with or without glasses Near Vision: Sn: 0.6, 0.6 with or without glasses when reading or close work is required |
| 3 | C-2 | Physically fit in all respects | Distance Vision: 6/12, nil with or without glasses Near Vision: Sn: 0.6 combined with or without glasses where reading or close work is required |

नोट:

उपर्युक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं तथा संपूर्ण नहीं हैं तथा सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल खंड I का अध्याय 5 पढ़ने की सलाह दी जाती है जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने लेसिक सर्जरी या रिफ्रैक्टरी ट्रिट को ठीक करने के लिए कोई अन्य सर्जरी प्रक्रिया करवाई है, वे चिकित्सा मानक B1 वाले पद के लिए पात्र नहीं हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग-अलग चिकित्सा मानक लागू होंगे, जैसा कि भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 में विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

4.0 राष्ट्रीयता/ नागरिकता:

- (a) अभ्यर्थी को निम्न में से कोई एक होना चाहिए:
- भारत का नागरिक हो, या
 - नेपाल का नागरिक हो, या
 - भूटान का नागरिक हो, या
 - तिब्बती शरणार्थी जो 01.01.1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो, या
 - भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवास कर आया हो।
 - बशर्ते कि उपर्युक्त श्रेणी (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
- (b) जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

- 5.0 आयु सीमा: रिक्ति तालिका में किसी विशेष पद के लिए दर्शाई गई न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना 01.01.2025 के अनुसार की जाएगी।

- 5.1 अभ्यर्थियों की जन्मतिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियां सम्मिलित)

| S.N. | Age Group | Lower age limit (not born after) | Upper age limit (Date of Birth not earlier than) | | |
|------|-----------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | For all communities/categories | UR/EWS | OBC-NCL | SC/ST |
| 1 | 18-33 | 01.01.2007 | 02.01.1992 | 02.01.1989 | 02.01.1987 |
| 2 | 18-36 | 01.01.2007 | 02.01.1989 | 02.01.1986 | 02.01.1984 |
| 3 | 19-36 | 01.01.2006 | 02.01.1989 | 02.01.1986 | 02.01.1984 |
| 4 | 20-36 | 01.01.2005 | 02.01.1989 | 02.01.1986 | 02.01.1984 |
| 5 | 20-38 | 01.01.2005 | 02.01.1987 | 02.01.1984 | 02.01.1982 |
| 6 | 20-43 | 01.01.2005 | 02.01.1982 | 02.01.1979 | 02.01.1977 |
| 7 | 21-33 | 01.01.2004 | 02.01.1992 | 02.01.1989 | 02.01.1987 |
| 8 | 21-43 | 01.01.2004 | 02.01.1982 | 02.01.1979 | 02.01.1977 |

नोट:*कोविड-19 महामारी के कारण आयु सीमा पार कर चुके और रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए कई उम्मीदवारों को राहत देने के लिए, पैरा-मेडिकल के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से परे 3 वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है।

5.2 नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन लागू है।

| Sl. No. | COMMUNITY/ CATEGORY | RELAXATION IN UPPER AGE LIMIT/ MAXIMUM UPPER AGE | |
|---------|--|---|---|
| 1 | SC & ST candidates | 5 Years | |
| 2 | OBC (Non-Creamy Layer) candidates | 3 Years | |
| 3 | Ex-servicemen with at least six months continuous service after attestation | Ex-servicemen (UR & EWS) | 3 years (after deduction of length of service from age) |
| | | Ex-servicemen (OBC-NCL) | 6 years (after deduction of length of service from age) |
| | | Ex-servicemen (SC & ST) | 8 years (after deduction of length of service from age) |
| 4 | Persons With Benchmark Disabilities (PwBD) | PwBD - UR & EWS | 10 Years |
| | | PwBD - OBC (NCL) | 13 Years |
| | | PwBD-SC & ST | 15 Years |
| 5 | Candidates who are serving Group 'C' and erstwhile Group 'D' Railway Staff with minimum 3 years' service as well as Substitutes with minimum 3 years' service in continuous or in broken spells, in Railways | UR & EWS | 40 Years of age |
| | | OBC (NCL) | 43 Years of age |
| | | SC & ST | 45 Years of age |
| 6 | Candidates who are working in Quasi-Administrative offices of the Railway organization such as Railway Canteens, Co-operative Societies and Institutes. | Up to the length of service rendered OR 5 years, whichever is less. | |
| 7 | Female candidates, who are widowed, divorced or judicially separated from husband but not remarried. | UR & EWS | 35 Years of age |
| | | OBC (NCL) | 38 Years of age |
| | | SC & ST | 40 Years of age |

- i) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आधारों पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे उन छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है (संचयी नहीं)।
- ii) अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को कोई आयु छूट नहीं मिलेगी।
- iii) अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल पीडब्ल्यूबीडी (यूआर) के लिए लागू आयु में छूट दी जाएगी - उपयुक्तता की शर्तों के अधीन।
- iv) पीडब्ल्यूबीडी और एक्सएसएम उम्मीदवारों को आयु में छूट उपरोक्त पैरा 5.1 के अनुसार दी जाएगी

5.3 महत्वपूर्ण: उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्म तिथि उनके मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी/दसवी पास या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि के समान होनी चाहिए। जन्म तिथि में बदलाव के लिए किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि में कोई भी अंतर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगा।

6.0 शैक्षणिक योग्यता :

उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (16.09.2024) तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से इस सीईएन के अनुलग्नक-ए में पदों के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक /तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक /तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों को आवेदन नहीं करना चाहिए।

7.0 परीक्षा शुल्क: अभ्यर्थियों को अपने समुदाय/श्रेणी के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

| S.No. | श्रेणियाँ /उम्मीदवारों के समुदाय | Fee |
|--|--|----------|
| 1 | सभी उम्मीदवारों के लिए (क्रमांक 2 में नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर)। 500/- रुपये के इस शुल्क में से, सीबीटी में उपस्थित होने पर, बैंक शुल्क काटकर 400/- रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी। | Rs 500/- |
| 2 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए। (उम्मीदवारों के लिए सावधानी: ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए) 250 रुपये का यह शुल्क सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिया जाएगा। | Rs 250/- |
| NOTE: केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी। | | |

7.1 शुल्क भुगतान के तरीके:

- केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।
- निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल होंगे, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (16.09.2024) तक प्राप्त संशोधन/हटाने/समावेश के अधीन होंगे। 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए हलफनामा: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को डीवी के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा (अनुलग्नक IV के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है और वे रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (ऊपर पैरा 7.0 के अनुसार)। इसके लिए उनके पास होना चाहिए।

- जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक III ए के अनुसार) में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:
 - जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
 - अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोक सभा के वर्तमान संसद सदस्य
 - राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें वे सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।
 - देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केन्द्रीय मंत्री।

या

- बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र या

- रेलवे द्वारा जारी वैध एमएसटी।

सभी ईबीसी उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र / बीपीएल कार्ड / वैध एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए और इसे डीवी के समय मूल रूप में भी प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं और ईबीसी को ओबीसी के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ईबीसी उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल फीस में छूट के हकदार हैं, नौकरी में आरक्षण के नहीं।

7.4 परीक्षा शुल्क की वापसी (सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए):

- सभी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य भाग (अर्थात् 400/- रु. या 250/- रु. जो भी लागू हो, बैंक शुल्क घटाकर) प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण (बैंक का नाम, खाताधारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड) स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
- सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है और आरआरबी इस आधार पर उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।
- गलत, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8.0 लंबवत आरक्षण:

8.1 यह सीईएन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) (ओबीसी-एनसीएल) के लिए लंबवत आरक्षण प्रदान करता है, जहां भी लागू और स्वीकार्य हो, और जैसा कि सूचित किया गया है मौजूदा नियमों के तहत इंडेंटिंग रेलवे द्वारा। (रिक्ति तालिका में विवरण देखें)। केवल वे समुदाय जो भारत सरकार द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, आरक्षण के लिए पात्र हैं।

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं। ईबीसी उम्मीदवार किसी भी नौकरी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

8.2 सभी उम्मीदवारों, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, पर सामान्य यानी अनारक्षित (यूआर) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (यूआर के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन)। हालाँकि, विशिष्ट समूहों (जैसे, एससी, एसटी, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उस समुदाय/श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी।

- 8.3 इसलिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जो अपेक्षित शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं पूरी करते हैं, वे यूआर रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उम्र में किसी छूट/रियायत के बिना सामान्य (गैर-आरक्षित) उम्मीदवारों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। परीक्षा के किसी भी चरण में योग्यता या अंक आदि किसी भी स्थिति में, उम्मीदवारों को आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय को इंगित करने की सलाह दी जाती है।
- 8.4 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को डीवी के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुबंध-I (एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए), अनुबंध-II (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और अनुबंध-III (ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।
- 8.5 ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि "यह प्रमाणित करने के लिए भी है कि वह भारत सरकार, विभाग की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08/09/93 और भारत सरकार द्वारा संशोधित डीओपीटी ओएम नंबर 36033/1/2013-स्था.(Res.) दिनांक 13/09/2017*" (*आगे संशोधन, यदि कोई हो, इस सीईएन के खिलाफ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त)।
- 8.6 ओबीसी आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाणपत्र है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर वह क्रीमी लेयर में नहीं आता है। डीवी के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना चाहिए जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार वैध है, और एक स्व-घोषणा पत्र (अनुलग्नक -II ए में दिए गए प्रारूप में) भी प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि वे "नहीं" क्रीमी लेयर से संबंधित हैं। अन्यथा, आरक्षण के लिए उनका दावा (ओबीसी-एनसीएल के रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके बजाय, उन्हें सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन केवल यूआर उम्मीदवार के रूप में माना जा सकता है।
- 8.7 **महत्वपूर्ण:** इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समुदाय/श्रेणी की स्थिति, केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार की जाएगी। इसके बाद इस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8.8 **ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण:**
वे उम्मीदवार जो एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रुपये से कम है। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के लाभ के लिए 8 लाख (आठ लाख रुपये) को ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है। आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा, भले ही पारिवारिक आय कुछ भी हो:
- 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
 - 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
 - अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को जोड़ा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:
- जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
 - मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
 - राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
 - उस क्षेत्र का उपमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाणपत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य भरना होगा। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, केवल रिक्तियां यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो सामान्य (यूआर) के तहत विचार किया जाएगा।

- 9.0 क्षैतिज आरक्षण:
- 9.1 यह सीईएन पूर्व सैनिकों (एक्सएसएम) और पीडब्ल्यूबीडी के लिए उनके समुदाय की परवाह किए बिना क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान करता है।
- 9.2 रिक्ति तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में ExSM और PwBD के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं। हालाँकि, जहाँ PwBD के लिए रिक्तियों को बैकलॉग रिक्तियों (समुदाय के किसी भी संकेत के बिना) के रूप में अलग से दिखाया गया है, ये अतीत की बैकलॉग रिक्तियाँ हैं और इस सीईएन में दर्शाई गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में शामिल नहीं हैं।
- 9.3 एक्सएसएम उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।
- 9.4 इसी प्रकार, PwBD उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं, लेकिन पद को उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।
- 9.5 यदि विकलांगता की उस श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से PwBD के लिए आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकती हैं, तो ऐसी रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी और उन्हें बैकलॉग रिक्ति के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।
- 9.6 नोट: हालाँकि, इस सीईएन में दर्शाई गई बैकलॉग रिक्तियों के लिए, यदि किसी विशिष्ट विकलांगता वाले PwBD उम्मीदवार (जिनके लिए बैकलॉग रिक्तियां निर्धारित हैं) उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें अन्य विकलांगता वाले PwBD उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, जिनके लिए पद है उपयुक्त। इसके बाद, किसी भी विकलांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार (जिसके लिए पद उपयुक्त के रूप में पहचाना गया है) की अनुपलब्धता के मामले में, रिक्त बैकलॉग रिक्तियों को योग्यता के क्रम में उस सीमा तक नियमित (गैर-पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।
- 10.0 भूतपूर्व सैनिक**
- 10.1** भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (चाहे लडाकू या गैर-लडाकू के रूप में) में सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने सेवा की हो। रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना और अर्धसैनिक बल
- और
- (a) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या ऐसी सेवा से मुक्त या मुक्त हो गया है, चाहे वह अपने अनुरोध पर या अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद नियुक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो; (या)
- (b) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; (या)
- (c) जिसे स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)
- (d) जिसे सगाई की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, अपने स्वयं के अनुरोध पर या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और उसे ग्रेज्युटी दी गई है; और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटे हुए दौर के लिए पेंशन धारक; (या)
- (e) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त किए गए हैं उनके नियंत्रण से परे और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई; (या)
- (f) वे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पूर्व छह माह से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; (या)
- (g) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (या)
- (h) चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त या सेवामुक्त किए गए भूतपूर्व भर्ती कर्मी जिन्हें 01.02.2006 से चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की गई है।
- 10.2** संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवारत ऐसे व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आएंगे, नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकेंगे, किन्तु ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे संघ की सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते।
- 10.3** तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कार्मिक जो सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर (अर्थात् 15.09.2025 को या उससे पहले) सेवामुक्त होने वाले हैं, वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित न किए गए पदों दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उनके पास इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात् 16.09.2024) तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- 10.4** भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत गुप 'सी' और पूर्ववर्ती गुप 'डी' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत गुप 'सी'/तत्कालीन गुप 'डी' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट का लाभ ही दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

- 10.5** यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद की नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, बशर्ते कि भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल रोजगार में शामिल होता है, उसे इस CEN के विरुद्ध आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन देना चाहिए। सिविल नियोक्ता से NOC के साथ इस घोषणा की पावती प्रति DV के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।
- 10.6** भूतपूर्व सैनिकों का चिकित्सा मानक भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 के अनुसार होगा, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।
- 11.0** **बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति :**
- 11.1** प्रत्येक पद के सामने, "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के अंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को दर्शाया गया है, जिसमें पद पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) में उप विकलांगता का विवरण दिया गया है।
बेंचमार्क विकलांगताएं:- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 (19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी) के अनुसार, बेंचमार्क विकलांगताएं निम्नानुसार हैं:-
(ए) अंधापन और कम दृष्टि;
(बी) बधिर और कम सुनने की क्षमता;
(सी) मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक हो चुके कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलने-फिरने में अक्षमता;
(डी) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;
(ई) प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में बहरापन-अंधापन सहित खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगताएं।
- नोट :** उम्मीदवार कृपया भारत सरकार की वेबसाइट <https://depwd.gov.in/acts/> देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक भागों की जांच कर सकते हैं।
- 11.2** पीडब्ल्यूबीडी के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को प्रत्येक पद के सामने पोस्ट पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) में, विकलांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के विवरण के साथ "बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के तहत दर्शाया गया है।
- 11.3** **PwBD उम्मीदवारों को अयोग्यता से बचने के लिए केवल उन पदों के लिए आवेदन करने में सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से उनकी बेंचमार्क विकलांगता या विकलांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के लिए उपयुक्त बताया गया है।**
- 11.4** छूट के लिए विकलांगता की डिग्री और विकलांगता के मुद्दे के लिए सक्षम प्राधिकारी: केवल ऐसे व्यक्ति ही सेवाओं/पदों में संबंधित समुदाय में शर्तों/आरक्षण में छूट के पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत प्रासंगिक विकलांगता से पीड़ित हों। जो व्यक्ति छूट का लाभ लेना चाहता है, उसे अनुलग्नक-V(A), V(B) और V(C) {फॉर्म V, VI या VII के प्रोफार्मा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र जमा करना होगा। डीवी के समय विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) दिनांक 15 जून 2017 के नियम 18(1) में निर्धारित अनुसार लागू।
- 11.5** स्क्राइब की सहायता: दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार/जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित है/एक हाथ वाले उम्मीदवार/मांसपेशी दुर्बलता/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं। स्क्राइब को नियुक्त करने के लिए, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसका उल्लेख करना होगा। स्क्राइब की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
(a) दिव्यांग उम्मीदवार, जो लेखक के लिए पात्र है, को लेखक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
(b) अभ्यर्थी के साथ आने वाले लेखक को अलग से ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा।
(c) परीक्षा के दौरान लेखक के किसी भी कदाचार के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
(d) लेखक उसी सी.ई.एन. का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए।
(e) एक ही लेखक को एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। लेखक और उम्मीदवार दोनों को इस आशय का घोषणापत्र देना होगा। किसी भी स्तर पर यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उम्मीदवार और लेखक दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
(f) स्क्राइब के लिए अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपने स्क्राइब का अतिरिक्त विवरण [अनुलग्नक-V(D) के अनुसार] प्रदान करना होगा, ताकि आरआरबी आवश्यक ई-कॉल लेटर जारी कर सकें।
(g) स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए।
(h) सीबीटी के दौरान, ई-कॉल लेटर पर उम्मीदवार और लेखक दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सीबीटी स्थल पर लेखक को बदलने की अनुमति नहीं है और इसलिए उसी लेखक की उपलब्धता सुनिश्चित करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, कारणों को विधिवत दर्ज करने और बदले गए लेखक की तस्वीर सहित प्रासंगिक विवरण भरने पर बदलाव की अनुमति दी जा सकती है।
(i) स्क्राइब की सहायता लेने वाले अभ्यर्थी सीबीटी के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।

- 11.6 सभी एक-आंख वाले अभ्यर्थी तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दृष्टि विकलांगता 40% से कम है, VI के रूप में विचारनीय नहीं होगा वे स्क्राइब नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 11.7 चयनित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को उनके डीवी के बाद रेलवे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा और केवल निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप ही, पैनल के लिए पात्र होंगे (उन पदों के विरुद्ध जिन्हें उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त माना गया है)।
- 12.0 **वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी):**
रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा प्राप्त करने वाले सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे आरआरबी को आवेदन कर सकते हैं। **शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी की तारीख पर नियोक्ता से एनओसी प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**
नोट: अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि संबंधित आरआरबी को उनके नियोक्ता से कोई पत्र प्राप्त होता है, जिसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवेदन करने/उसमें सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।
- 13.0 भर्ती प्रक्रिया:
- 13.1 उम्मीदवार को केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करना आवश्यक है।
- 13.2 दस्तावेज़ सत्यापन के बाद सभी अधिसूचित श्रेणियों के लिए सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षण) होगा। हालाँकि, यदि आरआरबी सभी या सीमित संख्या में उम्मीदवारों के लिए आवश्यक समझे तो अतिरिक्त सीबीटी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 13.3 सीबीटी/ऑनलाइन परीक्षा की तारीख, समय और स्थान आरआरबी द्वारा तय किया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा स्थगित करने और केंद्र/स्थल बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 13.4 सिंगल स्टेज सीबीटी के लिए प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों के लिए 90 मिनट की अवधि का होगा और PwBD उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट की अवधि का होगा जो स्क्राइब सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
- 13.5 प्रश्न पत्र चार विकल्पों के साथ वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इन चार विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर होगा।
- 13.6 सिंगल स्टेज सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) के लिए प्रश्नों का मानक आम तौर पर पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानकों और/या न्यूनतम व्यावसायिक/तकनीकी योग्यताओं के अनुरूप होगा। प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इसमें व्यावसायिक क्षमता (अनुलप्रक-सी में पाठ्यक्रम), सामान्य जागरूकता, अंकगणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है।
- 13.7 अनुभाग-वार अंक: अनुभाग-वार प्रश्नों की संख्या और अंक नीचे विस्तृत हैं
- | विषय | प्रश्नों की संख्या | अंक आवंटित |
|---|--------------------|------------|
| व्यावसायिक क्षमता | 70 | 70 |
| सामान्य जागरूकता | 10 | 10 |
| सामान्य अंकगणित, सामान्य बुद्धि और तर्क | 10 | 10 |
| सामान्य विज्ञान | 10 | 10 |
| कुल | 100 | 100 |
- 13.8 सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट/परीक्षा) में नकारात्मक अंकन होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों का 1/3 अंक काटा जाएगा।
- 13.9 दस्तावेज़ सत्यापन और पैनलीकरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर योग्यता के आधार पर की जाएगी, जो उनके समुदायों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने की शर्त पर होगी। यूआर/ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक 40%, ओबीसी और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% है। यदि PwBD के लिए पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 अंकों की छूट दी जाएगी।
- 13.10 सीबीटी परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को मुख्य सूची में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। **मुख्य सूची से 1:1 अभ्यर्थी को बुलाया जायेगा, अभ्यर्थियों का कोई स्टैंडबाई सूची नहीं होगा।**
- 13.11 दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और सत्यापन की तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जप्त कर ली जाएगी।
- 13.12 उम्मीदवारों का पैनल योग्यता के आधार पर होगा यानी सीबीटी में प्राप्त अंक और दस्तावेज़ सत्यापन के सफल समापन और निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन होगा।

- 13.13 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन/आरआरबी द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- 13.14 रेलवे भर्ती बोर्ड केवल क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों को सफल और पैनल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करता है। उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित रेलवे/उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- 13.15 नोट: - उम्मीदवारों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, उन्हें इसे परीक्षा परिसर के अंदर नहीं लाना चाहिए। यदि किसी भी उम्मीदवार के पास मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या वायरलेस संचार का कोई अन्य साधन चालू या बंद मोड में पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उचित समझी जाने वाली कानूनी कार्रवाई के अलावा उसे आरआरबी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- 13.16 उम्मीदवारों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक से शहर और तारीख की सूचनाएं, ई-कॉल लेटर और यात्रा प्राधिकरण (जहां भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- 13.17 अंकों का सामान्यीकरण:**
डीवी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। हालांकि, कभी-कभी परीक्षा बहु-सत्रों में आयोजित की जा सकती है। यदि सीबीटी के कई सत्र आयोजित किए जाते हैं तो अंक सामान्य हो जाएंगे। ऐसे परिदृश्य में डीवी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी।
- 13.18 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):
- (a) उम्मीदवारों को संबंधित पदों/वेतन स्तरों के लिए सीबीटी में उनके अंकों और योग्यता के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी।
- (b) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी, यानी, बड़े उम्मीदवार को युवा उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्यता दी जाएगी।
- (c) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने और सभी आवश्यक दस्तावेजों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- (d) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि आरआरबी केवल संबंधित रेलवे प्रशासन को पैनल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करते हैं। नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है।
- 14.0 आवेदन कैसे करें:**
- (a) गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
- (b) (बी) उम्मीदवारों को पहले नीचे पैरा 14 (एफ) में आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों में दिए गए लिंक के माध्यम से इस सीईएन के लिए 'खाता बनाना' होगा। खाता बनाने के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उनके पास एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी होना चाहिए। 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही खाता बना लिया है, तो उसे इस सीईएन (यानी सीईएन नंबर 04/2024) के लिए लॉग इन करने और आवेदन करने के लिए उसी खाते के क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए।
- (c) प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है और किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए एक उम्मीदवार द्वारा केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उन पदों में वरीयता के क्रम में, जिसके लिए उम्मीदवार पात्र है और आवेदन करने में रुचि रखता है। आवेदन केवल नीचे पैरा 14(एफ) में सूचीबद्ध किसी भी आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, उस पद के लिए चयनित आरआरबी अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा पदों के लिए एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर उन पदों के लिए सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे और डिबारमेंट कर दिया जाएगा।
- दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब:** यदि आप दिव्यांग उम्मीदवार हैं और स्क्राइब के लिए पात्र हैं तो स्क्राइब के लिए विकल्प इंगित करें। केवल दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार या वे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी/मस्कुलर डिस्ट्रॉफी/लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी) से प्रभावित है, वे ही इस CEN के विरुद्ध स्क्राइब प्राप्त करने के पात्र हैं। यदि आपने स्क्राइब को पढ़ा कर लिया है, तो स्क्राइब का विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता आदि दर्ज करें। इस प्रकार से व्यवस्थित स्क्राइब स्वयं उस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार उपस्थित हो रहा है और एक ही स्क्राइब को एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। स्क्राइब की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-DD-III के अनुसार होगी।
- (d) आवेदन भरने से पहले ऑनलाइन अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखें:
- (i) (अभ्यर्थी का नवीनतम, स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (सादे सफेद पृष्ठभूमि पर) JPEG इमेज में (आकार 30 से 70 KB) - बिना काला चश्मा और/या टोपी पहने।

नोट: अभ्यर्थियों के पास भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए एक ही फोटो की कम से कम 12 (बारह) प्रतियां होनी चाहिए।

- (ii) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की स्कैन की गई JPEG इमेज, रनिंग हैंडराइटिंग में (आकार 30 से 70KB)।
- (iii) एससी/एसटी प्रमाण पत्र (केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास मांगने वाले उम्मीदवारों के लिए) पीडीएफ प्रारूप में (500 केबी तक)।
- (iv) दिव्यांग उम्मीदवारों को उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार ही पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करना चाहिए (न कि विकलांगता प्रमाण पत्र में प्रयुक्त पूरे शरीर का फोटो)।
- (v) स्क्राइब (केवल योग्य PwBD उम्मीदवारों के लिए लागू): स्क्राइब का विवरण प्रदान करें, स्क्राइब की पासपोर्ट आकार की तस्वीर (सादे सफेद पृष्ठभूमि पर) जेपीईजी इमेज (आकार 30 से 70KB) में अपलोड करें - काला चश्मा और/या टोपी पहने बिना। स्क्राइब की जानकारी देना अनिवार्य है। परीक्षा स्थल पर स्क्राइब को बदलने की आम तौर पर अनुमति नहीं है। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में कारणों को विधिवत दर्ज करके और स्क्राइब की तस्वीर सहित प्रासंगिक विवरण भरने पर बदलाव की अनुमति दी जा सकती है।
- (e) उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत कॉमन सर्विसेज सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का एक हिस्सा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा प्रबंधित की जाती है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने और ई-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। कॉमन सर्विसेज सेंटर की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम कॉमन सर्विसेज सेंटर जानने के लिए, कृपया लिंक खोलें - फाइंड माई सीएससी (<https://findmycsc.nic.in/csc/>)।
- (f) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव के बारे में प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए अक्सर आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

| आरआरबी की वेबसाइटों की सूची | | |
|--|--|--|
| अहमदाबाद www.rbahmedabad.gov.in | चेन्नई www.rrbchennai.gov.in | मुजफ्फरपुर www.rrbmuzaffarpur.gov.in |
| अजमेर www.rrbajmer.gov.in | गोरखपुर www.rrbgkp.gov.in | पटना www.rrbpatna.gov.in |
| बंगलुरु www.rrbnc.gov.in | गुवाहाटी www.rrbguwahati.gov.in | प्रयागराज www.rrbald.gov.in |
| भोपाल www.rbbhopal.gov.in | जम्मू-श्रीनगर www.rrbjammu.nic.in | रांची www.rbranchi.gov.in |
| भुवनेश्वर www.rbbbs.gov.in | कोलकाता www.rrbkolkata.gov.in | सिकंदराबाद www.rrbsecunderabad.gov.in |
| बिलासपुर www.rbbilaspur.gov.in | मालदा www.rrbmalda.gov.in | सिलीगुड़ी www.rbsiliguri.gov.in |
| चंडीगढ़ www.rrbcdg.gov.in | मुंबई www.rbmumbai.gov.in | तिरुवनंतपुरम www.rrbthiruvananthapuram.gov.in |

(g) मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी की वैधता प्रदान करने का दायित्व उम्मीदवारों पर होगा।

(h) महत्वपूर्ण

1. महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी सूचना संबंधित आरआरबी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से दी जाएगी।
2. हालाँकि, उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ईमेल आईडी को पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखना होगा, ताकि एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से संचार भेजा जा सके।
3. आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।
4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों तथा आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपनी पंजीकरण संख्या को ध्यानपूर्वक नोट कर लें तथा याद रखें।

14.1 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

खाता बनाने के बाद, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देशों का पालन करें।

- (a) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरनी होगी तथा उसे जमा करने से पहले पुनः जांचना होगा।
- (b) आवेदक आवेदन जमा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर सकेगा।
- (c) परीक्षा का माध्यम: सीबीटी के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (जैसे, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक को चुनना होगा। सीबीटी प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे।

- (d) आवेदन जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को पैरा 7.1 में बताए अनुसार परीक्षा शुल्क के भुगतान का तरीका चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण: कृपया भुगतान करते समय भुगतान के तरीके की वास्तविकता के साथ-साथ इस CEN के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय के बारे में भी सावधान रहें। अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।
- (e) अंततः ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।

15.0 आवेदन में संशोधन:

- (a) ऑनलाइन आवेदन के अंतिम रूप से जमा होने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए आरआरबी को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है, तो वह प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (गैर-वापसी योग्य) का संशोधन शुल्क
- (b) देकर ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए आरआरबी को बदला नहीं जा सकता है।
- (c) संशोधन शुल्क सभी अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया जाना है, चाहे उनका समुदाय और श्रेणी कुछ भी हो।
- (d) यदि कोई अभ्यर्थी अपना समुदाय एससी/एसटी से यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में बदलता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (e) इसी प्रकार, यदि कोई अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक/पीडब्ल्यूबीडी से यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/गैर भूतपूर्व सैनिक/गैर पीडब्ल्यूबीडी आदि में बदल रहा है, तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में, उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (f) ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क के भुगतान पर किसी भी संख्या में दी जाएगी।
- (g) ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन संशोधन, संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय के 10 (दस) दिन बाद तक की अनुमति होगी, यानी इस सीईएन के लिए 16.09.2024 (23:59 बजे)। संशोधन विंडो 17.09.2024 से 26.09.2024 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं करेंगे।

16.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृति:

- (a) ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार किए जा सकते हैं:
- विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन। ऐसे मामले में, सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
 - अमान्य फोटो (अर्थात् निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे कि खराब रिजोल्यूशन, पूरे शरीर का दृश्य, केवल साइड व्यू, चेहरे की पहचान न हो पाना, फोटोकॉपी किया गया फोटो, समूह फोटो, तिरछा/उल्टा चित्र आदि।
 - अमान्य हस्ताक्षर (अर्थात् निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे कि चलती हुई हस्तलिपि के स्थान पर ब्लॉक/कैपिटल अक्षरों का उपयोग, खराब रिजोल्यूशन, अपूर्ण छवि आदि।
 - अभ्यर्थी का नाम किसी भी आरआरबी/आरआरसी की निषिद्ध सूची में होना।
 - कोई अन्य अनियमितता।
- (b) अस्वीकृत आवेदन: अस्वीकृत आवेदनों का विवरण संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लॉग इन करके देखा जा सकता है, साथ ही अस्वीकृति के कारण भी बताए जा सकते हैं जो अंतिम और बाध्यकारी होंगे और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदनों के अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को डाक से सूचित नहीं किया जाएगा।

17.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश:

- (a) सीबीटी शेड्यूल और ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक के बारे में जानकारी और विवरण आरआरबी की वेबसाइटों पर दिया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
- (b) पात्र उम्मीदवार सीबीटी के लिए अपना ई-कॉल लेटर (और जहां लागू हो, वहां स्क्राइब के लिए) आरआरबी की वेबसाइट से सीबीटी की तारीख से लगभग 4 (चार) दिन पहले पैरा 14 (एफ) में दिए गए अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।
- (c) अभ्यर्थियों को डाक द्वारा कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।
- (d) सीबीटी के बारे में विस्तृत जानकारी और निर्देश कॉल लेटर के साथ दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

- (e) निःशुल्क यात्रा सुविधा: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो निःशुल्क रेल यात्रा के पात्र हैं, उनके ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेलवे पास) होगा। ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके रेल आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना मूल समुदाय प्रमाण पत्र और पहचान का मूल निर्धारित प्रमाण साथ रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।
- (f) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ई-कॉल लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय फोटो पहचान पत्र (यदि अभी भी अध्ययन कर रहे हैं), आदि) परीक्षा हॉल में लाना होगा, अन्यथा उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (g) अभ्यर्थियों को उसी रंगीन पासपोर्ट फोटो की एक प्रति भी लानी होगी, जो उन्होंने सीबीटी/डीवी/एमई के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की थी।

18.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

- (a) डी.वी. के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को डी.वी. के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी दो सेट स्व-सत्यापित फोटोकॉपी भी जमा करानी होंगी।
- (b) इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) अपनी डीवी तिथि से पहले पोर्टल - <https://oirms-ir.gov.in/rrbdv> के माध्यम से अपलोड करनी चाहिए।
- (c) संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) जहां भी/जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीवी के दौरान प्रस्तुत प्रमाण-पत्र सख्ती से निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए।
- (d) दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (e) जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

19.0 अनुचित व्यवहार का प्रयोग:

- (a) कोई भी उम्मीदवार जो किसी भी तरह के अनुचित साधनों जैसे जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, गलत बयानी और तथ्यों को छिपाना आदि का उपयोग करते हुए पाया जाता है, उसे सभी आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं में आजीवन बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले से ही नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
- (b) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित और अनुचित प्रभाव का उपयोग करने पर संबंधित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे पद से हटा दिया जाएगा।
- (c) **चेतावनी:** रेलवे में नियुक्ति का प्रस्ताव देने वाले बेईमान तत्वों और नौकरी रैकेटियरों से सावधान रहें - या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों का उपयोग करके। आरआरबी भर्ती के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करता है। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है।

20.0 विविध:

- (a) भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी विसंगति के मामले में, संबंधित आरआरबी को उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (b) आरआरबी किसी भी अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि करने तथा उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं संचालित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।
- (c) आरआरबी किसी भी चरण में अतिरिक्त सीबीटी/डीवी (आवश्यकतानुसार) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आरआरबी इस सीईएन में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए किसी भी भर्ती प्रक्रिया के भाग या पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।
- (d) पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करना, गलत सूचना के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में आरआरबी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में आरआरबी द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (e) आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
- (f) इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले कोई भी कानूनी मुद्दे संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएंगे, जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी स्थित है।
- (g) व्याख्या के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, आरआरबी वेबसाइटों पर प्रकाशित अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

21.0 इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) 04/2024 में प्रयोग हुई संक्षिप्तियाँ:

| | |
|----------------------------------|---|
| भर्ती प्रक्रिया के चरण | सीवीटी : कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डीवी : दस्तावेज सत्यापन |
| आरक्षण/ आयु में छूट प्राप्त वर्ग | ईवीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, भूपू-सै.= भूतपूर्व सैनिक, अपिव-सीएल= अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर, अपिव-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर, अ. जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. = अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अना = अनारक्षित (सामान्य) |
| दिव्यांगता | आर-वीआई = नियमित दृष्टि बाधिता, आर-एचआई = नियमित श्रवण बाधिता, आर-एलडी = नियमित लोको मोटर अशक्ता, आर-ओडी = नियमित अन्य अशक्ता, आर-एमडी = नियमित बहु अशक्ता, बी-वीआई = बैकलॉग दृष्टि बाधिता, वा-एचआई = बैकलॉग श्रवण बाधिता, बी-एलडी = बैकलॉग लोकोमोटर अशक्ता, बी-ओडी = बैकलॉग अन्य अशक्ता, बी-एमडी = बैकलॉग बहु अशक्ता, एएवी = एसिड हमले के शिकार, एसडी = स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, बी= नेत्रहीन, बीएल = दोनों पैर, डी = बधिर, डीडब्ल्यू = बीनापन, एचएच = श्रवण बाधिता, एचआई = श्रवण बाधिता, आईडी = बौद्धिक दिव्यांगता, एलसी=कुष्ठरोग उपचारित, एलडी=लोकोमोटर दिव्यांगता, एलवी = कमजोर दृष्टि, एमडी = मांसपेशीय दुर्बिकास, एमडब्ल्यू = मांसपेशीयां कमजोरी, ओए = एक हाथ, ओएल = एक पैर, ओएएल = एक हाथ व एक पैर, पीडब्ल्यूवीडी = बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी= दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, एसएलडी = विशिष्ट अधिगम विकलांगता, वीआई = दृष्टिहीनता । |
| रेलवे जोन / संगठन | सीएलडब्ल्यू = चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस, चितरंजन; म.रे. = मध्य रेलवे, डीएलडब्ल्यू = डीजल लोकोमोटिव वर्कस, वाराणसी; डीएमडब्ल्यू = डीजल लोको मोटरनैजेशन वर्कस, पटियाला; पू.रे = पूर्व रेलवे, पू.म.रे.= पूर्व मध्य रेलवे, पू.तरे.= पूर्व तट रेलवे, आईसीएफ = इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई; उ. रे.= उत्तर रेलवे, उ.म.रे.= उतर मध्य रेलवे, पूर्वी. रे. = पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी.सी.रे.= पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, उ.प.रे.= उतर पश्चिम रेलवे, पीएसयू = सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पीयू = उत्पादन इकाई, आरसीएफ = रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला; आरडीएसओ= अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन, लखनऊ; रे. = रेलवे, रेलवे भर्ती बोर्ड= रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी = रेलवे भर्ती सेल, आरडब्ल्यूएफ = रेल पहिया फैक्ट्री, बेंगलुरु; आरडब्ल्यूपी = रेल व्हील प्लांट, बेला; द. रे.= दक्षिण रेलवे, द.म.रे.= दक्षिण मध्य रेलवे, द.पू.रे.= दक्षिण पूर्व रेलवे, द.पू.म.रे.= दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द.प.रे.= दक्षिण पश्चिम रेलवे, प.रे.=पश्चिम रेलवे, प.म.रे.= पश्चिम मध्य रेलवे । |
| रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) | एडीआई = अहमदाबाद, एआईआई = अजमेर, पीआरवाईजे = प्रयागराज, वीवी = मुंबई, वीवीएस = भुवनेश्वर, वीपीएल=भोपाल, वीएसपी=बिलासपुर, सीडीजी=चंडीगढ़, जीकेपी=गोरखपुर, जीएचवाई=गुवाहाटी, जेएटी=जम्मू श्रीनगर, केओएल = कोलकाता, एमएएस=चेन्नई, एमएलडी=मालदा, एमएफपी =मुजफ्फरपुर, पीएनबीई = पटना, आरएनसी=रांची, एसबीसी= बेंगलुरु, एससी= सिकंदराबाद, एसजीयूजे=सिलीगुड़ी, टीवीसी=तिरुवनंतपुरम । |
| सामान्य | सीवीएसई= केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; सीईएन=केंद्रीकृत रोजगार सूचना, आईएफएससी= इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जीपीईजी=जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, के.वी.=किलोवाइट, एलटीआई = लेफ्ट थंब इंग्रेशन, ओटीपी= वन टाइम पासवर्ड, यूपीआई = यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस । |

अनुलग्नक - ए

सीईएन 04/2024 पोस्ट पैरामीटर

| कोटि सं. | पदों का नाम | लेवल | पे | मेडिकल स्टैंडर्ड | न्यूनतम उम्र | अधिकतम उम्र | बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता | | | | | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता |
|----------|--|------|-------|------------------|--------------|-------------|--|--------|------------------|----|-----|---|
| | | | | | | | VI | HI | LD | OD | MD | |
| 1 | NURSING SUPERINTENDENT | 7 | 44900 | C1 | 20 | 43 | No | No | OL,AAV | No | No | Certificate as Registered Nurse and Midwife having passed 3 years course in General Nursing and Midwifery from a school of Nursing or other institution recognized by the Indian Nursing Council (OR) B.Sc Nursing. Note The Indian Nursing Council has also laid down certain special concessions for the above courses in respect of Auxiliary Nurse Midwives, Midwives and B grade Nurses, by way of reduced course period etc. Candidates obtaining the qualification prescribed above under these concessions will also be eligible for recruitment. |
| 2 | CARDIAC TECHNICIAN | 4 | 25500 | B1 | 18 | 36 | No | No | No | No | No | Higher Secondary (10+2) in Science and certificate course or Diploma in Cardiology Lab Investigations consisting of ECG, Holter and TMT. Candidate trained in Echocardiography is preferable |
| 3 | CLINICAL PSYCHOLOGIST | 6 | 35400 | B1 | 18 | 36 | No | No | OA, OL, DW | No | No | Masters Degree in Clinical Psychology / Social Psychology from a recognized University. |
| 4 | ECG TECHNICIAN | 4 | 25500 | C1 | 18 | 36 | No | No | AAV | No | No | 10+2 / Graduation in Science having Certificate/Diploma/ Degree in ECG Laboratory Technology / Cardiology / Cardiology Technician / Cardiology Techniques of a reputed institution. Note: Certificate should be a minimum of one year duration and above. "Open and Distance Learning mode of education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and Institutions of National Importance declared under an Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to posts and services under the Central Government provided they have been approved by the University Grants Commission" |
| 5 | FIELD WORKER | 2 | 19900 | C2 | 18 | 33 | No | No | DW | No | No | 12th (10+2 stage) in Science with Biology or Chemistry |
| 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | 6 | 35400 | C1 | 18 | 36 | LV | D, H H | OA,OL,L C,DW,AAV | No | Yes | B.Sc. having studied Chemistry as Main / Optional subject in any branch of Chemistry while undertaking the course. Plus (a) One year Diploma of Health / Sanitary Inspector (OR) (b) One year National Trade Certificate (NTC) in Health Sanitary Inspector awarded by National Council for Vocational Training, Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi. |
| 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | 3 | 21700 | B1 | 18 | 36 | No | D, HH | OL, BL, DW | No | Yes | 12th (10+2 stage) in Science plus (a) Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) (OR) (b) Certificate Course in Medical Lab. Technology at par with Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) subject to the fulfilment of (i) The course has been done from the institution which is recognized by a University or Technical Board of State Government/Central Government authority; (ii) The duration of the course is at least 01 year; (iii) During the course the candidate should have done the training on full time basis; and (iv) At the end of the course, there should be system of examination which has been successfully passed by the candidate. Note: Certificate should be a minimum of one year duration and above qualification should have been done full time. "Open and Distance Learning mode of education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and Institutions of National Importance declared under an Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to posts and services under the Central Government provided they have been approved by the University Grants Commission" |
| 8 | PERFUSIONIST | 6 | 35400 | B1 | 21 | 43 | No | No | AAV | No | No | B.Sc with Diploma in Perfusion Technology (OR) B.Sc and Three years experience in Cardio Pulmonary Pump Technician in Reputed Recognised Hospital. |
| 9 | PHYSIOTHERAPIST GRADE II | 6 | 35400 | C1 | 18 | 36 | LV,B | D, H H | OL,BL,DW | No | Yes | (i) Bachelors Degree in Physiotherapy from a recognized University and (ii) Two years practical experience in Physiotherapy from the Government / Private Hospital with atleast one hundred beds. |
| 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | 5 | 29200 | B1 | 19 | 36 | No | D, H H | OA,OL,BL,DW | No | Yes | 10+2 with Physics and Chemistry and Diploma in Radiography / X Ray Technician / Radiodiagnosis Technology (2 years course) from recognized Insitute. Science graduates with Diploma in Radiography / X Ray Technician / Radiodiagnosis Technology (2 years course) shall be preferred. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|-------|----|----|----|----|--------------|----------------------------------|----|-----|--|
| 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | 5 | 29200 | C2 | 20 | 38 | No | D, H H | OA,OL,OA, AL,LC,D W,AAV | No | Yes | 10+2 in Science or its equivalent, with Diploma in Pharmacy from recognized institution and registered as Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (OR) Bachelor degree in Pharmacy (B.Pharm) from a recognized University or equivalent and Registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act,1948. |
| 12 | DIALYSIS TECHNICIAN | 6 | 35400 | B1 | 20 | 36 | No | D, HH | OL, DW | No | Yes | B.Sc., plus (a) Diploma in Haemodialysis (OR) (b) two years satisfactory in-house Training / Experience in Haemodialysis work in a reputed institution (proof to be attached). |
| 13 | OPTOMETRIST | 4 | 25500 | B1 | 18 | 36 | No | D, HH | OL, DW | No | Yes | B.Sc in Optometry or Diploma in Ophthalmic Technician (the course should be of 3 to 4 years duration). The candidate should have Registration with the concerned Council / Licensing body. |
| 14 | LABORATORY SUPERINTENDENT | 6 | 35400 | B1 | 18 | 36 | No | D, H H | OL,BL,D W | No | Yes | B.Sc with Bio-Chemistry / Micro Biology / Life science / B.Sc with Chemistry and Biology as main or as optional / subsidiary subjects or equivalent plus Diploma in Medical Lab technology (DMLT) or equivalent (OR) B.Sc in Medical Technology (Laboratory) from a recognized institution. |
| 15 | DENTAL HYGIENIST | 6 | 35400 | C2 | 18 | 36 | No | No | OL, DW | No | No | (a) Degree in Science (Biology) from a recognized university or equivalent AND (b) Diploma / Certificate Course (2 years) in Dental Hygiene from an institute recognized by Dental Council of India AND (c) Registered with Dental Council of India as Dental Hygienist AND (d) Two years experience as Dental Hygienist. Note: Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to SC/ST, if at any state of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. |
| 16 | DIETICIAN (Level 7) | 7 | 44900 | C2 | 18 | 36 | No | D, HH | OA, OL, BL, LC, DW, AAV | No | Yes | B Sc (Science Graduate) with Post Graduate Diploma in Dietetics (one year course) from a recognized institution plus 3 months internship training in a hospital. (OR) B.Sc Home Science + M.Sc Home Science (Food and Nutrition) from a recognised institution. |
| 17 | CATH LABORATORY TECHNICIAN | 6 | 35400 | B1 | 18 | 36 | No | No | No | No | No | B.Sc and Diploma from a reputed Cardiac Lab in Cardiac Professional Cath Lab work or two years house training / experience in a reputed Cardiac Cath LABORATORY. |
| 18 | OCCUPATIONAL THERAPIST | 6 | 35400 | C1 | 18 | 36 | No | D, HH | OL, DW, AAV | No | Yes | 10+2 with Science and Diploma / Degree in Occupational Therapy |
| 19 | AUDIOLOGIST AND SPEECH THERAPIST | 6 | 35400 | B1 | 21 | 33 | LV | No | OL,DW | No | Yes | Bachelor in Audiology, Speech Language Pathology (BASLP) from a recognized University and must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI). |
| 20 | SPEECH THERAPIST | 5 | 29200 | B1 | 18 | 36 | LV | No | OL, DW | No | Yes | (i) B.Sc and Diploma in Audio and Speech Therapy (ii) 2 years experience in the related field. |

अनुलग्नक - बी

सभी अधिसूचित पदों के लिए आरआरबी-वार रेलवे-वार और पद-वार रिक्तियां

आरआरबी/अहमदाबाद

| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 4 | ECG TECHNICIAN | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | WR | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | WR | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | WR | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 32 | 4 | 2 | 10 | 3 | 51 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

आरआरबी/प्रयागराज

| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 5 | FIELD WORKER | NR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | NCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | DLW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | NCR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | DLW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | NCR | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | NR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | PHYSIOTHERAPIST GRADE II | DLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | NCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | DLW | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | NCR | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | NR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 22 | 7 | 2 | 3 | 7 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

आरआरबी/अजमेर

| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------------------------|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 12 | DIALYSIS TECHNICIAN | NWR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | DIETICIAN (Level 7) | NWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | ECG TECHNICIAN | NWR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | FIELD WORKER | NWR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | NWR | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | NWR | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | PHYSIOTHERAPIST GRADE II | NWR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | NWR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | NWR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 17 | 8 | 2 | 5 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/बंगलुरु | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 12 | DIALYSIS TECHNICIAN | SWR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | ECG TECHNICIAN | SWR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | SWR | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | LABORATORY SUPERINTENDENT | SWR | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | SWR | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | PHYSIOTHERAPIST GRADE II | SWR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | SWR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | SWR | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 39 | 15 | 8 | 15 | 5 | 82 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/भोपाल | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 16 | DIETICIAN (Level 7) | WCR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | WCR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | WR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | WCR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | WCR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | WR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | WCR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | WCR | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | WR | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 25 | 7 | 3 | 4 | 2 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/भुबनेश्वर | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | ECoR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | ECoR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/बिलासपुर | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 2 | CARDIAC TECHNICIAN | SECR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | DIALYSIS TECHNICIAN | SECR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | SECR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | SECR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | LABORATORY SUPERINTENDENT | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | SECR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | OPTOMETRIST | SECR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | CR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | SECR | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20 | SPEECH THERAPIST | SECR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | CR | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | SECR | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 23 | 6 | 3 | 11 | 5 | 48 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/चंडीगढ़ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | Railway/PU | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 19 | AUDIOLOGIST AND SPEECH THERAPIST | NR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | DIALYSIS TECHNICIAN | NR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16 | DIETICIAN (Level 7) | NR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | NR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | NR | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | NR | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | PHYSIOTHERAPIST GRADE II | NR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | NR | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 32 | 3 | 3 | 9 | 1 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/चेन्नई | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 2 | CARDIAC TECHNICIAN | SR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | CLINICAL PSYCHOLOGIST | SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | ECG TECHNICIAN | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | FIELD WORKER | SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | SR | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | SR | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | PERFUSIONIST | SR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | SR | 19 | 2 | 0 | 2 | 8 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | PHYSIOTHERAPIST GRADE II | SR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | SR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | SR | 21 | 14 | 7 | 8 | 8 | 58 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 65 | 23 | 17 | 16 | 22 | 143 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/गोरखपुर | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 4 | ECG TECHNICIAN | NER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | NER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | NER | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | NER | 31 | 11 | 5 | 19 | 7 | 73 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 36 | 13 | 8 | 19 | 7 | 83 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/गुवाहाटी | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 19 | AUDIOLOGIST AND SPEECH THERAPIST | NFR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | CLINICAL PSYCHOLOGIST | NFR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | ECG TECHNICIAN | NFR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | FIELD WORKER | NFR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | NFR | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | NFR | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 | OCCUPATIONAL THERAPIST | NFR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | OPTOMETRIST | NFR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | NFR | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | PHYSIOTHERAPIST GRADE II | NFR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | NFR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | NFR | 14 | 11 | 4 | 18 | 5 | 52 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 35 | 20 | 7 | 25 | 8 | 95 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/जम्मू-श्रीनगर | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 15 | DENTAL HYGIENIST | RCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | RCF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | NR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | RCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 | LABORATORY SUPERINTENDENT | DMW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | RCF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | DMW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | DMW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | NR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | RCF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | PHYSIOTHERAPIST GRADE II | DMW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/कोलकाता | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 19 | AUDIOLOGIST AND SPEECH THERAPIST | SER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | CARDIAC TECHNICIAN | SER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | DIALYSIS TECHNICIAN | ER | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16 | DIETICIAN (Level 7) | SER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | FIELD WORKER | ER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | SER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | ER | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | SER | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | ER | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14 | LABORATORY SUPERINTENDENT | SER | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | OPTOMETRIST | ER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | ER | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | SER | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | METRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | ER | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | METRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | ER | 32 | 11 | 6 | 18 | 5 | 72 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | SER | 23 | 4 | 5 | 16 | 5 | 53 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | METRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 112 | 28 | 18 | 55 | 16 | 229 | 22 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/मालदा | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | ER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | ER | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | PHYSIOTHERAPIST GRADE II | ER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | ER | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | SER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 19 | 6 | 0 | 5 | 2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/मुंबई | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 17 | CATH LABORATORY TECHNICIAN | WR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | CLINICAL PSYCHOLOGIST | CR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | DENTAL HYGIENIST | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | DIALYSIS TECHNICIAN | CR | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | ECG TECHNICIAN | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | FIELD WORKER | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | WR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | CR | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | WR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | CR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | WR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | LABORATORY SUPERINTENDENT | CR | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 18 | OCCUPATIONAL THERAPIST | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 13 | OPTOMETRIST | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | CR | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | WR | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | PHYSIOTHERAPIST GRADE II | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | CR | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | WR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | CR | 41 | 11 | 9 | 18 | 5 | 84 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | WR | 26 | 8 | 2 | 10 | 3 | 49 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 119 | 34 | 17 | 51 | 15 | 236 | 22 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/मुजफ्फरपुर | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--------------------------|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | ECR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | ECR | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/पटना | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|------------|---------------------|----|----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | ECR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | ECR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | ECR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | PHYSIOTHERAPIST GRADE II | ECR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | RWP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | ECR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | RWP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | ECR | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | RWP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 14 | 6 | 3 | 9 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| आरआरबी/रांची | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---|------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------|------|---------|----|----|---------|---------|---------|
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | ECR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | SER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | ECR | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | SER | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| आरआरबी/सिकंदराबाद | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | SCR | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | LABORATORY ASSISTANT GRADE II | SCR | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | SCR | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | RADIOGRAPHER X-RAY TECHNICIAN | SCR | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | ECoR | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | SCR | 23 | 0 | 6 | 7 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 46 | 4 | 7 | 15 | 7 | 79 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| आरआरबी/सिलीगुड़ी | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | रेलवे/पीयू | रिक्तियों की संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | ExSM | Regular | | | Backlog | | |
| | | | | | | | | | | | VI | HI | LD | Back-VI | Back-HI | Back-LD |
| 1 | 4 | ECG TECHNICIAN | NFR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | HEALTH and MALARIA INSPECTOR GRADE III | NFR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | PHARMACIST (ENTRY GRADE) | NFR | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | NURSING SUPERINTENDENT | NFR | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | | | | 686 | 202 | 109 | 269 | 110 | 1376 | 118 | 4 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 |

अनुलग्नक - सी

पारा -मेडिकल श्रेणियों के विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम, सीईएन संख्या 04/2024

| क्र.सं. | कोटि सं. | पदों का नाम | पाठ्यक्रम |
|---------|----------|-----------------------------------|---|
| 1 | 19 | Audiologist & Speech Therapist | Speech and Language development & disorders, Basic Anatomy & Physiology related to Speech & Hearing, Diagnostic & Rehabilitation Audiology, Psychology related to Speech & Hearing, Basic Acoustic, Pathology of Hearing and Hearing System, Phonetics + Phonology electives, Speech Language diagnostics and therapeutics, Paediatric Audiology, Management of the Hearing Impaired, Voice & Laryngectomy, Hearing Conservation, Aural Rehabilitation & Its Instrumentation. |
| 2 | 2 | Cardiac Technician | General Anatomy & Physiology (Cytology, Histology, Osteology and basics of all organ systems of body), basics of relevant Pathology, Pharmacology & Microbiology, Basic Physics related to cardiology, Detailed Cardiovascular system's Anatomy & Physiology (Heart & Blood vessels), Basics of Vital monitoring, ECG, TMT, Echo- Cardiography, Hand hygiene & prevention of cross infection, Basic Life Support (BLS) & Cardio-pulmonary resuscitation (CPR) |
| 3 | 3 | Clinical Psychologist | (i) PSYCHOSOCIAL PERSPECTIVES OF MENTAL DISORDERS:-Clinical Psychology & Mental Health, Models of Mental Disorders, Family Influences, Social Pathology, Psychopathology of specific conditions, Disability, Rehabilitation(ii)COUNSELING AND THERAPY:- Psychotherapy and Counseling, Interviewing, Behavior Modification and Therapy, Cognitive Therapies, Crisis Intervention, Family Counseling/Therapy, Therapy with children and special conditions(iii)PSYCHIATRY:- Nomenclature, Psychoses, Neurotic, Stress-related and Somatoform disorders, Disorders of personality and behavior, Organic mental disorders, Behavioral, emotional and developmental disorders of childhood and adolescence, Mental health policies and legislation. |
| 4 | 16 | Dietician (Level 7) | Introduction to Human Biology and Body Functions, Nutrients (Role and Significance), Understanding Nutrition (Basic diets for normal conditions/RDA) , Advanced Nutrition, Introduction to Nutraceuticals, Introduction to Special Conditions and Diet Therapy, Introduction to Clinical Nutrition, Food Microbiology, Recommend Approaches to Disease and Nutrition, Nutritional Biochemistry, Research Method Statistics, Medical Nutrition management, Path Physiology and Metabolism in Disease, Public Nutrition and Health, Pediatric and Geriatric Nutrition, Food Allergies and Diet Management |
| 5 | 1 | Nursing Superintendent | Anatomy, Physiology, Nutrition, Biochemistry, Nursing Foundations, Psychology, Microbiology, Sociology, Pharmacology, Pathology, Genetics, Medical-Surgical Nursing , (Adult including Geriatrics)-I, Community Health Nursing, Child Health Nursing, Mental Health Nursing, Midwifery and Obstetrical Nursing, Nursing Research & Statistics, Management of Nursing Services and Education |
| 6 | 15 | Dental Hygienist | Dental Hygiene AND Oral Prophylaxis, Community Health Dentistry, Operative Room Technique and Chir Side Assistance, Dental Ethics and Jurisprudence, Dental Materials, Anatomy (General & Dental), Physiology (General & Oral), Pharmacology (General & Dental), Pathology & Bacteriology (General & Dental), Dental Radiology |
| 7 | 12 | Dialysis Technician | Anatomy, Biochemistry & Pharmacology, Physiology, Introduction to Kidney diseases, Principles and practice of Dialysis |
| 8 | 6 | Health & Malaria Inspector Gr III | Food & Nutrition, Environmental Sanitation and Sanitary Engineering, Communicable and Non-Communicable Diseases (Prevention and Control), Health and Death Statistics |
| 9 | 14 | Laboratory Superintendent | Sociology & Psychology, PHYSIOLOGY, Basic Chemistry and Biochemistry, General Methodology, PHYSICS, Histopathology and cytology techniques, Clinical pathology & basic haematology, PARASITOLOGY & ENTOMOLOGY, Clinical biochemistry, Coagulation & transfusion medicine, Immunohaematology, VIROLOGY, MYCOLOGY, ADVANCED SEROLOGY |
| 10 | 13 | Optometrist | Physical and Geometrical Optics, General Anatomy and General Physiology, Ocular Anatomy and Ocular Physiology, Basic Biochemistry, Nutrition, Principles of Lighting, Hospital Procedures, Optometric Optics, Ocular Diseases, Visual Optics, Pharmacology, Pathology and Microbiology, Optometric Instruments, Clinical Examination of Visual System, Clinical Psychology, Clinics, Binocular vision, Glaucoma, Low Vision Aids, Dispensing Optics, Pediatric Optometry and Geriatric Optometry, Contact Lens , Law & Optometry and Occupational Optometry, Systemic Diseases , Epidemiology and Bio Statistics, Public Health and Community Optometry |
| 11 | 8 | Perfusionist | Basics of Anatomy, Basics of Physiology, Basics of Biochemistry, Basics of Bio-statistics, Basics of Pathology, Basics of Blood Banking, Basics of Microbiology, Basics of Central Sterilization Services, Hospital Awareness, Familiarization of different tables/tubes in surgical department, Surgical Awareness, preparation of patient for surgery, Patient related services, Anatomy, Physiology, Basics of Diagnostic techniques, Angiography, Oxygenators, Theory of Blood Pump, Gross Anatomy and Structural Features of Heart, Oxygenation, Monitoring, Instrumentation and measurements, Patho Physiology and Pharmacology & Perfusion Techniques, Adequacy of Perfusion, Applied Perfusion Technology, Introduction to Perfusion Technology, Perfusion Equipments, Biomedical Electronics, Perfusion problems during radio pulmonary bypass, Cardio Pulmonary By-Pass, Clinical Application of Bypass Techniques, Occupational Aspects of Perfusion, Postoperative Intensive Care unit Management, Instrumentation Study, Instrument Measurement & Critical Care equipment. |
| 12 | 9 | Physiotherapist Grade - II | Psychology & Sociology, Anatomy, Physiology, Applied Physiology, Basic and Applied Physics for Physiotherapy, Basic Nursing & First Aid, Orientation to Physiotherapy, General Medicine/General Surgery/Paediatrics/ Geriatrics, Biomechanics, Applied Anatomy & Kinesiology, Exercise Therapy, Microbiology and Pathology, Electrotherapy(low & medium frequency), Electrotherapy (high freq & Actinotherapy), Community Medicine, Clinical Orthopaedics, Clinical Cardio-Respiratory Diseases, Bio Statistics & Research Methodology, Physical Modalities Maintenance, PT in Orthopaedics, PT in Neurology, Pt in Cardio Respiratory Conditions, Rehabilitation Medicine, Advanced Physiotherapeutics, Physical Education |
| 13 | 11 | Pharmacist (Entry Grade) | Human Anatomy and Physiology, Pharmaceutical Analysis, Pharmaceutics, Pharmaceutical Inorganic Chemistry, Remedial Biology/Remedial Mathematics, Pharmaceutical Organic Chemistry, Biochemistry, Pathophysiology, Computer Applications in Pharmacy, Environmental sciences, Physical Pharmaceutics, Pharmaceutical Microbiology, Pharmaceutical Engineering, Medicinal Chemistry, Pharmacology, Pharmacognosy and Phytochemistry, Industrial Pharmacy, Pharmaceutical Jurisprudence, Herbal Drug Technology, Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Pharmaceutical Biotechnology, Quality Assurance, Instrumental Methods of Analysis, Pharmacy Practice, Novel Drug Delivery System, Biostatistics and Research Methodology, Social and Preventive Pharmacy, Pharma Marketing Management, Pharmaceutical Regulatory Science, Pharmacovigilance, Quality Control and Standardization of Herbals, Computer Aided Drug Design, Cell and Molecular Biology, Cosmetic Science, Experimental Pharmacology, Advanced Instrumentation Techniques, Dietary Supplements and Nutraceuticals |
| 14 | 10 | Radiographer X-Ray Technician | Human Anatomy & Physiology, Radiology Physics, General Physics, Radiation Physics & Physics of Diagnostic Radiology, X-Ray Machines & Accessories, Maintenance, X-ray Film / Image processing Techniques (Dark Room Techniques), Clinical Radiography-Positioning, Medical Ethics and patient care, Principles of Medical Emergencies, Equipments, Techniques of modern Imaging Modalities, Contrast & Special Radiography procedures, Quality Control at Radiology & Radiation Safety |
| 15 | 20 | Speech Therapist | Sound and Hearing, Anatomy and Physiology of ear, Hearing loss, Evaluation of hearing, Early identification and prevention, Speech & Language Pathology, Anatomy and physiology of speech mechanism, Disorders of speech and language, Assessment of speech disorders, Assessment of language disorders, Hearing aids and earmolds, Auditory learning, Speech reading, Education of children with hearing impairment, Rehabilitation, Disability issues, Management of speech disorders, Management of language disorders, Educational issues, General issues in management |

| | | | |
|----|----|-------------------------------|---|
| 16 | 4 | ECG Technician | Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pharmacology, Introduction to Cardiovascular Diseases, Basic Cardiovascular Investigations, Advanced Cardiovascular Investigations |
| 17 | 7 | Laboratory Assistant Grade II | Anatomy, Physiology, Biochemistry, Fundamentals of Medical laboratory Technology, Microbiology, Clinical biochemistry, Pathology & Histopathology, Haematology and Blood and bank |
| 18 | 5 | Field Worker | Physiology of Conception, Contraception-various methods, National Immunization Schedule, Nutrition, Antenatal and Postnatal Care, Target groups for Family Planning, Incentives for accepting small family norm-Special, Personal Hygiene, Communicable and Non-Communicable Diseases, HIV/AIDS, Vital Statistics-Birth Rate, Death Rate, etc., Organizational Chart for Family Welfare Branch and the Medical Department, Record Keeping-Maintenance of Various records viz. registers, Health cards, Reports. |
| 19 | 18 | Occupational Therapist | FUNDAMENTALS OF Occupational Therapy: Human Anatomy, Musculoskeletal system, Human Physiology related to CNS / Respiratory System. Cardiovascular System / Neuromuscular function, Physiology of exercise & Acclimatization, Occupational Therapy, Human development and its Activities of daily living Occupational therapy as Diagnostic & prognostic procedure, Steps involved in preparing the client for return to work / Prevocational evaluation/ Evaluation of work capacity, Evaluation of physical capacity/ Evaluation of functional capacity, Different types of tools & equipment & their uses in Occupational Therapy, General principles of splinting, describe material used. Hand function & evaluation methods, Physiology of Exercise & Work in relation to different organ functions, Disability prevention and rehabilitation. |
| 20 | 17 | Cath Laboratory Technician | Cardiac Catheterization, Equipment and Technology, Catheterization Procedures, Patient Preparation and Care, Safety and Infection Control, Clinical Skills and Practice, Professional and Ethical Issues. |

सभी पदों के लिए सामान्य:

| क्र.सं. | विषय | पाठ्यक्रम |
|---------|-----------------------------|---|
| 1 | सामान्य अंकगणित | Number systems, BODMAS, Decimals, Fractions, LCM and HCF, Ratio and Proportion, Percentages, Mensuration, Time and Work, Time and Distance, Simple and Compound Interest, Profit and Loss, Algebra, Geometry, Trigonometry, Elementary Statistics, Square Root, Age Calculations, Calendar & Clock, Pipes & Cistern |
| 2 | सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क | Analogies, Alphabetical and Number Series, Coding and Decoding, Mathematical operations, Relationships, Syllogism, Jumbling, Venn Diagram, Data Interpretation and Sufficiency, Conclusions and Decision Making, Similarities and Differences, Analytical reasoning, Classification, Directions, Statement – Arguments and Assumptions etc. |
| 3 | सामान्य जागरूकता | Knowledge of Current affairs, Indian geography, culture and history of India including freedom struggle, Indian Polity and constitution, Indian Economy, Environmental issues concerning India and the World, Sports, General scientific and technological developments etc. |
| 4 | सामान्य विज्ञान | Physics, Chemistry and Life Sciences (up to 10th Standard CBSE syllabus). |

अनुलग्नक- I

अजा/अजजा के लिए जाति प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती / कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री गाँव/ शहर
..... /जिला/ मंडल..... राज्य/ संघ गाँव/ राज्य क्षेत्र*..... जाति/
जनजाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के तहत मान्यता प्राप्त है:-

- * संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
- * संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित आदेश 1956. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित]

- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- * संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
- * संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962
- * संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- * संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.
- * संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- * संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- * संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.
- * अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2. एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू।

यह प्रमाणपत्र श्री/ श्रीमती"..... पिता / माता"..... के श्री श्रीमती / कुमारी
निवासी गाँव/शहर...../जिला/ मंडल"..... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो जाति जनजाति से संबंधित हैं, जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति*(निर्धारित प्राधिकारी का नाम) द्वारा उनकी संख्यादिनांकद्वारा जारी किया गया।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी और/ अथवा उसका परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल गाँव/शहर में सामान्यतः निवासी करता है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पदनाम

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र

* जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दें।

* लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

@कुपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का हवाला दें

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें

टिप्पणी: (क) यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः निवास" का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। जाति / जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी।

(1) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (2) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों। (4) उस क्षेत्र के उपप्रभागीय अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है। (5) केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। (6) प्रशासक / प्रशासक के सचिव (लक्ष्यदीव , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

अनुलग्नक-II

भारत सरकारके अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रारूप

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/कुमारी -----सुपुत्र/सुपुत्री -----
----- गाँव/शहर -----जिला/मंडल -----राज्य/संघ
राज्य क्षेत्र -----समुदाय से सम्बन्ध रखता है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय व अधिकारिता
मंत्रालय के संकल्प सं. -----दिनांक-----के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी/-----और/अथवा उसका परिवार -----
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/मंडल-----में सामान्यतः निवास
करता/करती है यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या
36012/22/93-स्थापना (एससीटी), दिनांक 08.09.1993 कि अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमीलेयर) और
भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2013 - स्थापना (आरईएस), दिनांक 13.09.2017
द्वारा संशोधित , के अंतर्गत नहीं आता है।

दिनांक :

**जिला मजिस्ट्रेट/उप.आयुक्त /सभी सक्षम
अधिकारी**

(मुहर)

- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकारके उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार कि जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है।

** समय-समय पर यथा संशोधित।

नोट : यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 कि धारा 20 के अनुसार ही होगा।

- (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट /कार्यकारी माजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों और उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

अनुलग्नक -IIए

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सुचना संख्याके पदों के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा (नॉन क्रिमिलियर) वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री.....
श्री गाँव/शहर/.....
 जिलाराज्यएतद द्वारा घोषणा करता
 हूँ/करती हूँ कि मैंसमुदाय (अपनी जातिका उल्लेख करें), जिसे कार्मिक व
 प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एसटीसी), दिनांक 08.09.1993 में अंतर्विष्ट आदेशो के
 अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह भी घोषणा
 करता हूँ /आरती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन 08.09.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना
 -(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017 की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों /वर्गों (क्रिमिलियर) के
 अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

स्थान:
दिनांक

उम्मीदवार का नाम :
आर आर बी पंजीकरण संख्या

सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई डब्लू एस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
आय एवं सम्पत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र क्र दिनांक

वर्ष _____ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री _____, ग्राम/मोहल्ला _____ डाकघर
_____ जिला _____ राज्य _____ /संघशासित
प्रदेश _____ पिन कोड _____ के मूल निवासी है, जिनकी फोटो
निचे अनुप्रमाणित है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, क्योंकि वित्तीय वर्ष _____ में उनकी/उनके परिवार ** की
सकल आय * 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये केवल) से कम है। उनके /उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी सम्पत्ति
*** नहीं है।

- I. 5 एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
- III. अधिसूचित नगर्पलिकाओ में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के आलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. श्री /श्रीमती /कुमारी _____ उस जाति से सम्बंधित है, जिसे
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सुची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

| | |
|--|---|
| आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो | कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर _____ |
| | कार्यालय _____ |
| | नाम _____ |
| | पद का नाम _____ |

नोट 1: आय के अन्तर्गत सभी श्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादी शामिल है।

** नोट 2: एस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में, आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के माता-पिता, 18 स्सल के कम उम्र के भाई बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 साल से कम उम्र बच्चे शामिल है।

*** नोट 3: ईडब्लूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या सम्पत्ति धारण परिक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या शहरों /शहरों में एक 'परिवार ' द्वारा रखी गई सम्पत्ति को जोड़ गया है।

- (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी माजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों
- (iv) उप मंडल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईवीसी) उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाणपत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या (सीईएन) संख्या ----- के तहत दस्तावेज सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े(ईवीसी) के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क छुट के लिए प्रोफोर्मा

प्रमाण पत्र संख्या.....

1.उम्मीदवार का नाम : -----

2.पिता का नाम : -----

3.आयु : -----

4.आवासीय पता : -----

5.वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में) : -----

दिनांक : -----

हस्ताक्षर :

नाम :

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर :

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक आय रु. 50000/- रुपये से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कि पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत है :

1. जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर से उपर का राजस्व अधिकारी
- (2) लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए
- (3) किसी गरीब उपशमन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य कोई प्रमाणपत्र या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एम्एसटी
- (4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए।

अनुलग्नक-IV

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या (सीईएन) संख्या ----- के तहत दस्तावेज सत्यापन के समय आर्थिक रूप अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क छूट के लिए प्रोफोर्मा

मैं -----सुपुत्र/सुपुत्री श्री -----
निवास गाँव/शहर/नगर -----जिला-----राज्य-----एतद्
द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ----- (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय
अर्थात् मुस्लिम/सिख/इसाई/बौद्ध/जैन/जोरोस्ट्रियन(पारसी) इंगित करे) से संबद्ध रखता हूँ /रखती हूँ।

तारीख :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

स्थान :

उम्मीदवार का नाम :
आरआरबी पंजी संख्या

नोट : दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षा फ़ीस कि छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय सम्बन्धी घोषणा/हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम/सिख/इसाई/बौद्ध/जैन/जोरोस्ट्रियन(पारसी) के अंतर्गत आता है।

अनुलग्नक -V(A)

फॉर्म -V

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(अंगछेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा होने या बौनापन तथा नेत्रहीनता की स्थिति में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खीचा हुआ पासपोर्ट आकर का प्रमाणित फोटो (जिसमें केवल चेहरा दिखे)

प्रमाणपत्र संख्या

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती.कुमारीसुपुत्र / पत्नी/सुपुत्री
.....जन्म तिथि (तारीख /महिना/वर्ष).....पुरुष/महिला पंजीकरण संख्या
.....स्थायी निवासी मकान संख्यावार्ड/गाँव/गली
.....डाकघरजिलाराज्य.....का ध्यानपूर्वक
परिक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि

a. यह मामला :

- लोकोमोटर अपंगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता

(जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगाये)

(ख) उसकी अपंगता का निदान

(1) दिशानिर्देशो (दिशानिर्देश जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाय)। के अनुसार उसके (शारीर का हिस्सा) के सम्बन्ध में% (आंकड़े में)प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोको मोटर विकलांगता /बौनापन /अंधापन है।

(2) आवेदक ने निवास के सुबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

| दस्तावेज की प्रकृति | जारी करने की तारीख | प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का व्योरा |
|---------------------|--------------------|--|
| | | |

(अधिसूचित चिकित्सा प्रमाणपत्र के

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

फॉर्म-VI

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(एक के ज्यादा दिव्यांगता होने की स्थिति में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

प्रमाणपत्र संख्या दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री /श्रीमति /कुमारी

सुपुत्र /पत्नी /सुपुत्रीजन्म तिथि (तारीख /महिना /वर्ष).....पुरुष /महिलापंजीकरण संख्यास्थायी निवासी मकान संख्यावाड़ /गाँव /गलीडाकघरजिलाराज्यका ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है , जिसका फोटो ऊपर चिकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि :

(क) वह एक से अधिक अपंगता से ग्रस्त है। उसकी अस्थायी शारीरिक बाधा/अपंगता की सीमा का नीचे चिन्हित अपंगताओं व दी गई तालिका में दर्शायी गई अपंगता का दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) मूल्यांकन किया गया है:

| क्रमांक | विकलांगता | शारीर का प्रभावित भाग | निदान | स्थायी शारीरिक हानि/ मानसिक विकलांगता(% में) |
|---------|-----------------------------|-----------------------|-------|--|
| 1 | लोकोमोटर दिव्यांगता | @ | | |
| 2 | मांसपेशीय दुर्बिकास | | | |
| 3 | कुष्ठरोग उपचारित | | | |
| 4 | बौनापन | | | |
| 5 | मस्तिष्क पक्षाघात | | | |
| 6 | एसिड हमले के शिकार | | | |
| 7 | कमजोर दृष्टि | # | | |
| 8 | दृष्टिहीनता | # | | |
| 9 | बधिर | £ | | |
| 10 | श्रवण बाधिता | £ | | |
| 11 | बातचीत एवं भाषा दिव्यांगता | | | |
| 12 | बौद्धिक दिव्यांगता | | | |
| 13 | विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता | | | |
| 14 | स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार | | | |
| 15 | मानसिक रोग | | | |
| 16 | जीर्ण तंत्रिका की स्थिति | | | |
| 17 | मल्टिपल सिरोसिस | | | |
| 18 | पार्किंसन रोग | | | |
| 19 | अधिरक्तस्राव | | | |
| 20 | थेलेसीमिया | | | |
| 21 | सिकल सेल रोग | | | |

(ख) उपरोक्त के आलोक में दिशानिर्देशों(दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक हानि, इस प्रकार है: अंकों में.....% शब्दों मेंप्रतिशत

2. उपरोक्त स्थिति बढ़ रही है/ नहीं बढ़ रही है/ सुधार होने की संभावना है /सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पूनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है, या

(ii) अनुसंशित है/.....वर्षमहिना के बाद और इसलिए यह प्रमाणपत्र(दिन/माह/वर्ष) तक देय रहेगा ।

(@) अर्थात बायां/ दायाँ / दोनों हाथ /पैर, # अर्थात एक आंख/ दोनों आंख, £ अर्थात बायां/ दायाँ दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

| दस्तावेज का स्वरूप | जारी करने की तारीख | प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का व्योरा |
|--------------------|--------------------|---|
| | | |

5. चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर व मुहर :

| | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | |
| सदस्य का नाम व मुहर | सदस्य का नाम व मुहर | अध्यक्ष का नाम व मुहर |

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुलग्नक-V(C)
फार्म-VII
दिव्यांग प्रमाणपत्र
(फार्म-V व VI में उल्लिखित के आलावा अन्य मामलों में
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)
(नियम 18(1) देखें)

प्रमाणपत्र सं.

दिनांक.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री / श्रीमती /कुमारी

सुपुत्र/पुत्री/सुपुत्री

जन्म तिथि (तारीख/माह/वर्ष)..... आयु वर्ष पुरुष/महिला पंजीकरण सं.स्थायी निवासी मकान नं.
वार्ड / वार्ड/गांव/गली पोस्ट ऑफिस..... जिला..... राज्य..... जिनका फोटो ऊपर चिपकाया गया है, का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है और मैं आश्वस्त हूँ कि उनका मामला अपंगता का है। उनकी शारीरिक बाधिता / अपंगता की सीमा के प्रतिशत का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार..... संख्या और दिशा- निर्देशों के जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) किया गया है और इन्हें नीचे तरीका में उल्लिखित संबंधित अपंगता के सामने दर्शाया गया है:-

| क्र. सं | अपंगता | शरीर का प्रभावित अंग | निदान | स्थायी शारीरिक बाधिता /मानसिक पंगता (% में) |
|---------|-----------------------------|----------------------|-------|---|
| 1 | लोकोमोटर दिव्यांगता | @ | | |
| 2 | मांसपेशिय दुर्बिकास | | | |
| 3 | कुष्ठरोग उपचारित | | | |
| 4 | मस्तिष्क पक्षाघात | | | |
| 5 | एसिड हमले के शिकार | | | |
| 6 | कमजोर दृष्टि | # | | |
| 7 | वधिर | £ | | |
| 8 | श्रवण बाधिता | £ | | |
| 9 | वातचीत एवं भाषा दिव्यांगता | | | |
| 10 | बौद्धिक दिव्यांगता | | | |
| 11 | विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता | | | |
| 12 | स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार | | | |
| 13 | मानसिक रोग | | | |
| 14 | जीर्ण तंत्रिका की स्थिति | | | |
| 15 | मल्टीपल सिरोसिस | | | |
| 6 | पार्किन्सन रोग | | | |
| 17 | अधिररक्तस्त्राव | | | |
| 18 | थेलेसीमिया | | | |
| 19 | सिकल सेल रोग | | | |

(जो अपंगता लागू न हो उसे काट दें)

(ख) उपरोक्त के आलोक में दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक हानि, इस प्रकार है: अंकों में.....% शब्दों मेंप्रतिशत

2. उपरोक्त स्थिति बड़ रही है/ नहीं बड़ रही है/ सुधार होने की संभावना है /सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पूनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है, या

(ii) अनुसंधित है/.....वर्षमहिना के बाद और इसलिए यह प्रमाणपत्र(दिन/माह/वर्ष) तक देय रहेगा।

(@) अर्थात बायाँ/दायाँ/दोनों हाथ/पैर

अर्थात एक आँख /दोनों आँखें

£ अर्थात बायाँ/दायाँ/दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

| दस्तावेज का स्वरूप | जारी करने की तारीख | प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का व्योरा |
|--------------------|--------------------|---|
| | | |

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

(नाम व मोहर)

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| प्रतिहस्ताक्षरित/(CMO/चिकित्सा अधीक्षक के परत हस्ताक्षर और मुहर) सरकारी अस्पताल के अधीक्षक /प्रमुख, यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है (मुहर के साथ) | | (अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) नाम और मुहर |

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान, जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी - प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने के मामले में, यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर होने पर ही वैध होगा। प्रमुख नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O.908(E),दिनांक 31.12.1996 को प्रकाशित किया गया था।

अनुलग्नक V(D)
स्क्राइब सहायता लेने हेतु घोषणा

टिपण्णी: दृष्टि बाधित वाले (वीआई) उम्मीदवार /सेरेब्रल पालसी के कारण जिनकी लेखन गति प्रभावित हो /मांशपेशीय दुर्विकाश/लोको मोटर दिव्यन्गता वाले उम्मीदवार (एक हाथ)/बौद्धिक दिव्यन्गता वाले (स्वलीनता, स्पेसिफिक लर्निंग अपंगता और मानसिक बीमारी) उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र है।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम
2. रोल नंबर.....
3. सीबीटी का नाम.....
4. उम्मीदवार की शैक्षणिक
5. दिव्यन्गता का प्रकार
6. स्क्राइब का नाम
7. स्क्राइब का जन्म तिथि
8. स्क्राइब के पिता नाम
9. स्क्राइब का पता

(a) स्थायी पता

(b) वर्तमान पता

स्क्राइब का हाल ही में खिचाया हुआ पासपोर्ट आकार का 3.5 मिमी X 4.5 मिमी का रंगीन फोटो (जो तिन महीने से ज्यादा पुराना न हो।

उक्त बॉक्स में स्क्राइब का हस्ताक्षर

10. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता

11. स्क्राइब का उम्मीदवार के साथ सम्बन्ध

12. घोषणा :

- (i) हम एतद् द्वारा घोषणा करते है कि उपर्युक्त व्योरा सत्य है और हमारे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवार के आचरण के बारे में रेलवे भर्ती बोर्ड के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और एतद् द्वारा उनके पालन का वचन देते है।
- (ii) हमलोग यह उत्तरदायित्व लेते है कि स्क्राइब कि स्क्राइब इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते है कि अन्यथा पाए जाने पर हम दोनों की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- (iii) हम घोषणा करते है कि इस परीक्षा में स्क्राइब ने किसी उम्मीदवार के लिए लिखने का काम नहीं किया है/ नहीं करेगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

(स्क्राइब का हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बॉक्स में उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान

उपर्युक्त बॉक्स में स्क्राइब के बाएं अंगूठे का निशान

वीक्षक का हस्ताक्षर

पूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत नागरिक रोजगार के सम्बन्ध में पूर्व सैनिक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

मैं भलीभांति जानता हूँ कि इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) द्वारा की जाने वाली भर्ती के सम्बन्ध में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति में नियुक्त होने के योग्य नहीं रहूँगा, यदि मुझे इस तरह की नियुक्ति से पहले किसी भी समय असैनिक रोजगार में (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय /साविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि) पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की छूट का लाभ उठाकर रोजगार मिला है।

मैं एतद् द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की भी घोषणा करता हूँ :

- क) मैंने सीईएन के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पहले पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई असैनिक रोजगार प्राप्त नहीं किया है।
- ख) मैंने असैनिक रोजगार में नौकरी पाने के लिए पूर्व सैनिक कोटे का लाभ उठाया है और मैंने असैनिक रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सीईएन में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व घोषणा /वचन दिया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व घोषणा /वचन को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है।

(जो भी लागू न हो, उसे काट दें)

स्थान :

हस्ताक्षर:

तारीख

नाम:

रोल नंबर :